

रसीद

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 132, 133 व 138 के अंतर्गत समविष्ट स्वनिर्धारण प्रक्रिया के तहत फार्म रजिस्टर (अ) नं. मुनिस्विक रूप से 134 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 की उपधारा 187 के खण्ड (अ) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उपधारा 6) के खण्ड (अ) के अनुसार शिक्षा उपकर निर्धारण तथा संग्रहण का नियम के अंतर्गत वि.सं. 18/2021 के क्रमांक पर दर्ज हैं **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्र. 52**



नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

रसीद नं. **87**

रसीद बुक क्र. **1210**

वार्ड

52/शिव पिला, अमलीप्रीत रा.न. 151/48 जा भाग

मकान नं.

मालिक मकान

① **सुनील कुमार दुर्धा** ② **पंकज कुमार दुर्धा**

संपत्ति कर

1740 -

नाम काबिज

③ **कमल कुमार दुर्धा पिता. रत्न. शीतल**

रसीद बाबत संपत्ति कर, जल शुल्क, शिक्षा उपकर, **वास दुर्धा**

योग

6000 -

समेकित कर, सामान्य जलकर, अन्यकर

समेकित कर

वार्षिक भाड़ा मूल्य **19328/-**

जल शुल्क

3000 -

सन्

2021 & 2022

सामान्य जलकर

अतिरिक्त जलकर 1 %

193 -

शिक्षा उपकर

बकाया एवं अन्यकर

अधिभार

योग

2833 =

अक्षरी रूप में

तारीख

दो हजार आठ सौ तीस

हस्ताक्षर करदाता **07/11/2021**

जब तक वसूल कर्ता का हस्ताक्षर न हो सिर्फ सामान्य सील हो ऐसा न समझा जाये कि रसीद की रकम पट गई है।

जल ही जीवन है इसे व्यर्थ न बहायें

वसूलकर्ता के हस्ताक्षर
राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर